| (12) | (13) |
|---|---|
| **Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-**<br>1. Secretary, Union Public Service Commission -Chairman<br>2. Additional Secretary (In-charge of Administration Branch), Union Public Service Commission -Member<br>3. Additional Secretary (In-charge of Information System Wing), Union Public Service Commission -Member | Consultation with Union Public Service Commission is not necessary. |

[F. No. 39021/02/2015-Estt.(B)]
PRAMOD KUMAR JAISWAL, Under Secy.

---

## स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2018

**सा.का.नि. 47.—**राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली (समूह 'ग' पद), भर्ती नियम, 1981 को जहां तक उसका संबंध लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली में सांख्यिक के पद से है, उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, सांख्यिक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली (सांख्यिक),भर्ती नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

**2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मेट्रिक्स में स्तर.—**पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मेट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

**3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—**भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त/पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

**4. निरर्हता** : वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

**5. शिथिल करने की शक्ति**.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बाबत् आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

**6. व्यावृत्ति**.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

**अनुसूची**

| पद का नाम | पद संख्या | वर्गीकरण | वेतन मेट्रिक्स में स्तर | चयन पद अथवा अचयन पद |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| सांख्यिक | 1* (एक) (2018)<br>*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है | साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय | वेतन मेट्रिक्स में स्तर- 5 (रु. 29200-92300) | लागू नहीं होता |

| सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा | सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं |
|---|---|
| (6) | (7) |
| 18-25 वर्ष के बीच ।<br>(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए सामान्य अभ्यर्थियों के मामले में चालीस वर्ष तक और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से संबंधित अभ्यर्थियों के मामले में पैंतालीस (45) वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)<br>**टिप्पण:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख़ भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख़ होगी। (न कि वह अंतिम तारीख़ जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य के लद्दाख़ खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ।)<br>**टिप्पण:** रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस दिन तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए लिए कहा गया है । | किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में अर्थशास्त या सांख्यिकी या गणित में डिग्री ।<br>**टिप्पण 1.** अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में वहां उसके लिए जो कारण हैं उनको लेखबद्ध करके कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।<br>**टिप्पण 2.** अनुभव संबंधी अर्हताएं कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित अभ्यर्थियों की दशा में, वहां उसके लिए जो कारण हैं उनको लेखबद्ध करके शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है । |

| सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी या नहीं | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो | भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता | प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा |
|---|---|---|---|
| (8) | (9) | (10) | (11) |
| लागू नहीं होता | दो वर्ष | सीधी भर्ती | लागू नहीं होता |

| यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा। |
|---|---|
| (12) | (13) |
| **विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-**<br>1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज अस्पताल, नई दिल्ली - अध्यक्ष<br>2. शरीर रचना विज्ञान विभाग, लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज का अध्यक्ष, - सदस्य<br>3. उप निदेशक, प्रभारी चिकित्सा शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य<br>4. उप निदेशक, प्रशासन, लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज अस्पताल - सदस्य | लागू नहीं होता। |

[सं.ए.12018/18/2016-एमएच-II]

जी.पी. सामन्त, अवर सचिव

## MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 29th December, 2018

**G.S.R. 47.—**In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Lady Hardinge Medical College and Shrimati Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi, (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 1981,in so far They relate to the post of Statistician, in the Lady Hardinge Medical College and Shrimati Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Statistician, namely.—

**1. Short title and commencement.—**(1) These rules may be called the Lady Hardinge Medical College and Shrimati Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi (Statistician), Recruitment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Number of post, classification, level in pay matrix or pay scale.—**The number of the said post, its classification and level in the pay matrix or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

**3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—**The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

**4. Disqualification.—**No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

**5. Power to relax.—**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

**6. Saving.—**Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes. The Ex-servicemen and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

**SCHEDULE**

| Name of post | Number of post | Classification | Level in pay matrix or pay scale. | Whether selection post or non-selection post |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Statistician | 1(one)* (2018) *Subject to variation dependent on workload. | General Central Service, Group 'C', Non Gazetted, Non Ministerial | Level 5 in the pay matrix.(Rs. 29200-92300). | Not applicable |

| Age-limit for direct recruits | Educational and other qualifications required for direct recruits |
|---|---|
| (6) | (7) |
| Between 18 and 25 years.<br>(Relaxable for Government servants up to forty years in case of general candidates and forty-five years in case of candidates belonging to The Schedule Castes and Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).<br>**Note :** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshdweep). | Degree from any recongised University with Economics or Statistics or Mathematics as a subject.<br>**Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission for the reasons to be recorded in writing in case of candidates otherwise well qualified.<br>**Note 2:** Qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission for the reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if, at any stage of selection the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them. |

| Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes. | Period of probation, if any | Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation /absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods | In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grade from which promotion or deputation/ absorption to be made, |
|---|---|---|---|
| (8) | (9) | (10) | (11) |
| Not applicable | Two years | Direct recruitment | Not applicable |

| If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition ? | Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment. |
|---|---|
| (12) | (13) |
| **Composition of Departmental Confirmation Committee(for considering confirmation)consisting of : –**<br>1. Additional Medical Superintendent, Lady Hardinge Medical College Hospital, New Delhi -Chairman<br>2. Head of Anatomy Department, Lady Hardinge Medical College -Member<br>3. Deputy Director in charge of Medical Education, Directorate General of Health Services, -Member<br>4. Deputy Director Administration, Lady Hardinge Medical College hospital, -Member | Not applicable |

[No. A.12018/18/2016-MH-II]

G.P. SAMANTA, Under Secy.